

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

B.F.Sc. (मत्स्य विज्ञान स्नातक) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु हेतु स्पॉट काउंसलिंग (ऑफलाइन) की रिक्त सीटें

No. 369/DF/NDVSV/2024 (दिनांक 29.11.2024 समय सुबह 11.00 बजे) SESSION - 2024-25

Dr. 25/11/2024

(क) रिक्त सीटों की जानकारी

Bachelor of Fishery Science (College of Fishery Science, Jabalpur)

1. Free Seats

B.F.Sc.	UR						SC						ST						OBC						EWS		TOTAL
	X	F	FF	S	PH	K	X	F	FF	S	PH	K	X	F	FF	S	PH	K	X	F	FF	S	PH	K	X	F	
Co.F.Sc. Jabalpur	6	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	2	1	25

2. Payment Seats

B.F.Sc.	UR						SC						ST						OBC						EWS		TOTAL
	X	F	FF	S	PH	K	X	F	FF	S	PH	K	X	F	FF	S	PH	K	X	F	FF	S	PH	K	X	F	
Co.F.Sc. Jabalpur	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	11

(UR = अनारक्षित, SC= अनुसूचित जाति, ST= अनुसूचित जनजाति, OBC= अन्य पिछड़ा वर्ग , EWS= आर्थिक रूप से कमजोर

वर्ग: F = महिला, K= कृषक, FF= स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, S=सैनिक, PH=दिव्यांग, X= इन में से कोई नहीं अर्थात बिना वर्ग)

स्थान : सभागार, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, आधारताल जबलपुर (म.प्र) 482004

टीप : प्रवेशित छात्र -छात्राओं द्वारा प्रवेश निरस्त कराये जाने पर बेबसाईट में प्रदर्शित रिक्त सीटों की सख्या में वृद्धि हो सकती

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)
(ख) B.F.Sc. (मत्स्य विज्ञान स्नातक) पाठ्यक्रम (सत्र 2024-25) में प्रवेश हेतु
स्पॉट काउंसलिंग (ऑफलाइन) दिनांक 29.11.2024 के नियम एवं शर्तें
समय सुबह 11.00 बजे

1. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की स्वयं की उपस्थिति अनिवार्य है।
2. अभ्यर्थी जिन्होंने MPOnline, Bhopal द्वारा ऑन लाईन काउंसलिंग हेतु पंजीयन किया हैं अथवा जिन्होंने पंजीयन नहीं किया है, समस्त पात्र अभ्यर्थी स्पॉट काउंसलिंग (ऑफलाइन) में सम्मिलित हो सकते हैं।
3. काउंसलिंग की नियत तिथि दिनांक 29.11.2024 को जो अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर पंजीयन करवायेंगे केवल वे अभ्यर्थी ही प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के पात्र होंगे।
4. बिलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया में देर से शामिल होने के कारण रिक्त स्थान पर प्रवेश न मिलने की जबाबदारी उनकी स्वयं की होगी।
5. B.F.Sc. पाठ्यक्रम में प्रवेश NEET-2024 की प्रवीण्य सूची के आधार पर सीट आवंटन किया जायेगा। काउंसलिंग में उपस्थित होने हेतु न्यूनतम अंकसीमा (Cut-off Marks) नहीं हैं।
6. विश्वविद्यालय की प्रवेश हेतु नियम पुस्तिका में दिये गए नियमों का पालन किया जाएगा एवं दशार्थे गए प्रारूप अनुसार ही वांछित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य हैं।
7. रिक्त सीटों में आवंटन निम्नानुसार किया जावेगा :-
 - (क) फ्री सीटों में प्रवेश:-
फ्री सीटों में केवल मध्यप्रदेश के मूलनिवासियों ही प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
 - (ख) पेमेंट सीटों में प्रवेश:-
पेमेंट सीट में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने की बाध्यता नहीं होगी। आरक्षित वर्ग के सीटों में प्रवेश केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही दिया जावेगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को केवल अनारक्षित (UR-X) वर्ग के सीटों में ही प्रवेश के पात्र होंगे।
8. अभ्यर्थी प्रवेश लेने हेतु निम्नलिखित मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होंगे।
 - NEET-2024 की प्रवेश पत्र एवं अंक सूची (Re-revised)।
 - हाई स्कूल (10th), हायर सेकेण्डरी (12th Class) की मूल अंकसूची एवं प्रमाण-पत्र।

- चरित्र प्रमाण पत्र अन्तिम अध्ययनरत संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी ।
- स्थानांतरण प्रमाण पत्र ।
- माइग्रेशन प्रमाण पत्र ।
- तत्काल की चार पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो जिसके पीछे अभ्यर्थी अपना नाम लिखेंगे ।
- सक्षम अधिकारी द्वारा आरक्षित/संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) ।
- मध्यप्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र (पेमेंट सीट में प्रवेश हेतु अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को म.प्र. के मूल निवासी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है) ।
- मध्यप्रदेश के मूल निवासी द्वारा दिये जाने वाला शपथ पत्र (प्रारूप -17 विश्वविद्यालय की प्रवेश हेतु नियम पुस्तिका में देखें)
- आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) 01 जनवरी 2024 या उसके पश्चात् जारी किया गया हो ।
- यदि अध्ययन के दौरान कक्षा बारहवीं के बाद अंतराल हुआ हो तो उसका शपथ पत्र ।
- पंजीयत चिकित्सक द्वारा रक्त समूह का विवरण व स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ।
- माता/पिता अथवा अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक) (आरक्षित वर्ग के लिए)
- आधार कार्ड

समस्त मूल दस्तावेजों एवं उनकी दो छायाप्रतियों (फोटोकापी) को लाना अनिवार्य होगा ।

9. अभ्यर्थी निम्नलिखित आवश्यक शुल्क के साथ उपस्थित होंगे

शुल्क निर्धारित तिथि में प्रवेश हेतु अनिवार्य रूप से जमा करना होगा । कुल शुल्क भुगतान की पावती प्रस्तुत करने पर ही अभ्यर्थी आबंटित संस्था में प्रवेश के लिए पात्र होंगे । कुल शुल्क निर्धारित तिथि पर न जमा करने पर अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर अन्य प्रत्याशी को मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा ।

अनारक्षित वर्ग/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को समान रूप से प्रवेश हेतु नीचे दर्शायी गयी फ्री सीट के लिये निर्धारित शुल्क रु. 52,740/- एवं पेमेंट सीट के लिये निर्धारित शुल्क रु. 1,72,740/- प्रवेश के दिन ही जमा करना अनिवार्य होगा

(आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश के पश्चात् नियमानुसार म.प्र शासन के द्वारा घोषित छात्रवृत्ति अभ्यर्थी के बैंक खाते में शासन द्वारा सीधे जमा कराई जावेगी)।

कुल शुल्क :- फ्री सीट

स. क्र.	वर्ष	प्रथम सेमेस्टर (रूपए में)	द्वितीय सेमेस्टर (रूपए में)	कुल शुल्क (रूपए में)
1	प्रथम वर्ष	52740 /-	11000 /-	63740 /-
2	द्वितीय वर्ष	30750 /-	26000 /-	56750 /-
3	तृतीय वर्ष	30750 /-	26000 /-	56750 /-
4	चतुर्थ वर्ष	30750 /-	26000 /-	56750 /-

पेमेंट सीट

स. क्र.	वर्ष	प्रथम सेमेस्टर (रूपए में)	द्वितीय सेमेस्टर (रूपए में)	कुल शुल्क (रूपए में)
1	प्रथम वर्ष	172740* /-	11000 /-	183740 /-
2	द्वितीय वर्ष	90750 /-	86000 /-	176750 /-
3	तृतीय वर्ष	90750 /-	86000 /-	176750 /-
4	चतुर्थ वर्ष	90750 /-	86000 /-	176750 /-

* शिक्षण शुल्क द्वितीय सेमेस्टर की भी समायोजित है।

2. छात्रावास हेतु शुल्क (उपलब्ध होने पर)

स. क्र.	वर्ष	प्रथम सेमेस्टर (रूपए में)	द्वितीय सेमेस्टर (रूपए में)	कुल शुल्क (रूपए में)
1	प्रथम वर्ष	12500 /-	8500 /-	21000 /-
2	द्वितीय वर्ष	8500 /-	8500 /-	17000 /-
3	तृतीय वर्ष	8500 /-	8500 /-	17000 /-
4	चतुर्थ वर्ष	8500 /-	8500 /-	17000 /-


* विद्युत शुल्क खपत अनुसार एवं भोजनालय की शुल्कों का भुगतान अतिरिक्त देय होगा

नोट : ऑनलाईन प्रवेश शुल्क जमा करने की सुविधा उपलब्ध होगी ।

शुल्क वापसी: सत्र 2024-25 में बी.एफ.एससी. स्नातक पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के पश्चात् किसी कारणवश प्रवेश निरस्त करने पर शुल्क वापस विश्वविद्यालय नियमानुसार किया जाएगा।

10. किसी भी वर्ग/श्रेणी हेतु आरक्षित महिला सीटों में से केवल उसी श्रेणी/वर्ग के महिला अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे ।

11. आरक्षण के नियमानुसार किसी भी वर्ग/श्रेणी में पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उनके रिक्त सीटों को नियमानुसार वर्ग/श्रेणी में परिवर्तित कर भरा जावेगा।


कुलसचिव/
अध्यक्ष काउंसलिंग समिति